

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रस्तुतिप्रद लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/ 2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री पूरन चन्द्र तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अस्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री पूरन चन्द्र तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट	जनहित

श्री पूरन चन्द्र तिवारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवृत्ति नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री तिवारी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के दिरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

३/-  
(डॉ अजय कुमार वर्मा)  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

### कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ १६०४ /स्था०अनु०-१/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक १०/०६/१८  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री पूरन चन्द्र तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री पूरन चन्द्र तिवारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट को इस आशय से कि श्री पूरन चन्द्र तिवारी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल / चम्पावत।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, हल्द्वानी/ लोहाघाट।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/ गार्ड पत्रावली।

०  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/ 2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विधायी स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री त्रिलोचन भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अनुकूल
1	2	3	4	5
1.	श्री त्रिलोचन भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी	जनहित

श्री त्रिलोचन भट्ट को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री भट्ट का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की थारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

४/  
(डॉ) अजय कुमार वर्मा)  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

### कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-क०नि०/ 1605 /स्थानु०-१/लि०सं०/ वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/06/18  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री त्रिलोचन भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री त्रिलोचन भट्ट को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी को इस आशय से कि श्री त्रिलोचन भट्ट की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत/ नैनीताल।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, लोहाघाट/ हल्द्वानी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/ गार्ड पत्रावली।

८/  
उप कृषि निदेशक  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।